

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 431/2022

निर्णय दिनांक :- 15/6/2022

## उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी घासी जाति धाकड निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक राज0

-प्रार्थीया-

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी

उपस्थिति :- श्री बद्री प्रसाद  
विजयवर्गीय अधिवक्ता प्रार्थी


तहसीलदार  
देवली

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 206 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व कब्जे काशत की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद नहीं है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।




उत्तर:

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया । तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है । अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071-74 में अंकित खसरा नम्बर 206 रकबा 1.06 है० वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली